

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 10/2023 अपील

1. जमना पिता देवा जाट बनाम राजस्थान राज्य जरिये नायब
निवासी हाजियास तहसील तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा
हुरडा जिला भीलवाडा

—अपीलार्थी

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, अपील विरुद्ध नायब
तहसीलदार हुरडा प्रकरण संख्या 63/2023 निर्णय दिनांक 20.01.2023


उपस्थित –

श्री सत्यनारायण सोमानी अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 31.03.2023

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार हुरडा प्रकरण सं0 63/2023 निर्णय दिनांक 20.01.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को ग्राम हाजीयास की आराजी संख्या 426 रकबा 0.05 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमी मान 5/- रु. जुर्माना एवं बेदखली का आदेश पारित करने में भारी भूल की हैं, अपीलान्ट के पिता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर जो निर्णय पारित किया हैं वह विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। पटवार हल्का फलामादा ने अपीलान्ट को ग्राम हाजीयास की आराजी संख्या 426 रकबा 0.05 हेक्टेयर भूमि पर नाजायज कब्जा होना बताते हुए कब्जे की रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस दिनांक 20.01.2023 का जारी किया। दिनांक 20/01/2023 को अपीलान्ट नोटिस की पालना में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, तब संबंधित रीडर द्वारा अपीलान्ट को यह कहा गया कि प्रकरण में उनकी हाजरी हो गई हैं, आगामी पेशी बाबत सूचित कर दिया



अति. जिला कलक्टर




पिता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर जो निर्णय पारित किया हैं वह विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। वादग्रस्त आराजियात जो कि आबादी भूमि के सटमा है तथा उस पर अपीलान्ट का कब्जा काफी लम्बे समय से पक्का निर्माण होकर मकान बने होकर अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है एवं अपीलान्ट के पशुधन उसी में बंधते है। इस प्रकार अपीलान्ट बीपीएल की श्रेणी में आता है, एवं नियमन की पात्रता रखता हैं। पत्रावली में मात्र पटवारी हल्का रिपोर्ट को आधार मानते हुए आदेश पारित किया गया है। पत्रावली में पटवारी हल्का के कोई बयान कलमबद्ध नहीं किये गये है। निवेदन हैं कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाते हुए अपीलान्ट का उक्त आराजी पर कब्जा काफी लम्बे समय से होने से, अपीलान्ट को उपरोक्त वर्णित आराजियात का नियमन किये जाने की अनुसंशा प्रदान फरमाई जाये। अपीलान्ट अधिवक्ता ने इस बाबत विधिक दृष्टान्त राजस्व ग्रुप -6 विभाग क्रमांक - प.9 (6) राज-6/2000/10 दिनांक 07.09.2017, 1102 दिनांक 15.09.2017, 1104 दिनांक 03.10.2017, 1469 दिनासं 30.11.2017 पेश किये।

रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट ने ग्राम हाजियास के खसरा नम्बर 426 रकबा 0.05 हैक्ट. भूमि पर पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का ने धारा 91-की रिपोर्ट पेश की थी। अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए नायब तहसीलदार हुरडा ने प्रकरण सं. 63/2023 निर्णय दिनांक 20.01.2023 से अतिक्रमी को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं वार्षिक लगान का 50 गुणा, 5/-रूपये शास्ति आरोपित कर बेदखली का जो निर्णय पारित किया गया वह सही है, उसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हैं। अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया गया कि अपीलार्थी स्वयं ने अपील में अंकित किया उसका उक्त वादग्रस्त आराजियात पर पक्का निर्माण होकर कब्जा चला आ रहा हैं, जिससे वह उक्त वादग्रस्त आराजियात को नियमन कराने हेतु




अति. जिला कलेक्टर
भीलवाडा

पात्रता रखता हैं।

चूंकि अपीलार्थी स्वयं ने ही अपनी अपील में अंकन किया है कि उक्त आराजी पर अपीलार्थी ने पक्का निर्माण किया हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत जो प्रकरण दर्ज किया जाकर निर्णय पारित किया है उसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।


यदि अपीलार्थी का प्रश्नगत आराजी पर निरन्तर कब्जा था तो अपीलार्थी को नियमन कराने हेतु सक्षम अधिकारी के यहां आवश्यक कार्यवाही की जानी थी। राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत आराजी संख्या 426 किस्म गे.मु. उसर है। जिस पर अतिक्रमी द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के पक्का निर्माण करा अतिक्रमण किया हुआ था, जिस पर पटवारी हल्का ने अतिक्रमण रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 63/2023 निर्णय दिनांक 20.01.2023 को जो निर्णय पारित किया है, वह न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव—

आदेश

अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार, हुरडा बमामले प्रकरण सं. 63/2023 निर्णय दिनांक 20.01.2023 के क्रम में अपील आधारहीन एवं सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विधिक दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत परिपत्रों के क्रम में अपीलार्थी सक्षम अधिकारी के यहां चाराजोही किये जाने बाबत स्वतंत्र हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हुरडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलकत्ता
भीलवाड़ा